Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत अपर जिला कलक्टर (प्रथम) मुकाम जोधपुर

प्रार्थी

प्रकाश नाहटा पुत्र स्व0 जसराज नाहटा, उम्र 63 वर्ष, निवासी बेलवा खत्रियां, ग्राम पंचायत बेलवा, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर हाल निवासी वार्ड नं0 9, गुण्डर देही, जिला बालोद, छत्तीसगढ़।

बनाम

अप्रार्थी

1. तिलोकचन्द पुत्र भंवरलाल, निवासी बेलवा खत्रियां, ग्राम पंचायत बेलवा, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत बेलवा खत्रियां, जरिये सरपंच।

किस्म मुकदमा **पंचायत निगरानी** नं. 11 सन् **2022**

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.04.2022	प्रार्थी ने यह पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 पंचायत निर्णय दिनांक 20.01.2018 बअन्तर्गत मिसल संख्या 16 एवं उसके अनुसरण में जारी पट्टा संख्या 16 दिनांक 20.01.2018 ग्राम पंचायत बेलवा खत्रिया द्वारा जारी किया गया, को निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत की है। पंचायत निगरानी के स्थगन प्रार्थना–पत्र व अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम मय शपथ–पत्र पेश किया है। अतः प्रस्तुत पंचायत निगरानी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। अतः प्रस्तुत पंचायत निगरानी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। अप्रार्थीगण को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी जारी हो जो प्रार्थी अधिवक्ता को दस्ती दिये जाए। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रेकर्ड प्राप्त कर, पत्रावली वास्ते तामिली रिपोर्ट देखने हेतु दिनांक 27.04.2022 को पेश हो। अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर।	
27-04-22	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी प्रकाश नाहटा मय अधिवक्ता श्री मोती सिंह व श्री करण सिंह उप.। अप्रार्थी सं. 01 की ओर से अधि. श्री सुरेश जोशी ने वकालतनामा पेश किया। निगरानीकार प्रकाश नाहटा अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर	तिलोकचन्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehr
Date: 2023.01.16 16:19:36 IST
Reason: SelfAttested

FORM NO. III

AAP-A
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत अपर जिला कलक्टर (प्रथम) मुकाम जोधपुर

मुकदमा प्रकाश नाहटा बनाम तिलोकचन्द वगैरा

पंचायत निगरानी नं. 11 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	व अप्रार्थी सं 01 तिलोकचन्द ने दिनांक 26-04-2022 को राजीनामा मय शपथ पत्र पेश कर बतलाया कि न्यायालय के समक्ष विचाराधीन निगरानी अंतर्गत धारा 97 राज० पंचायती राज अधिनियम, 1994 पंचायत निर्णय दिनांक 20-01-2018 व अंतर्गत मिसल संख्या 16 एवं उसके अनुसरण में अप्रार्थी संख्या 01 के नाम जारी पट्टा संख्या 16 दिनांक 20-01-2018 जो ग्राम पंचायत बेलवा पंचायत समिति बालेसर जिला जोधपुर द्वारा जारी किया गया, के विरुद्ध पेश की गई है। उक्त पंचायत निगरानी में निगरानीकार/प्रार्थी व अप्रार्थी सं 01 के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। माफिक राजीनामा दोनो पक्षकार उपरोक्त निगरानी स्वीकार करने के लिए सहमत है। ग्राम पंचायत बेलवा द्वारा जारी निगरानीधीन पट्टा विलेख को निरस्त करवाने हेतु दोनो पक्षकार सहमत है। प्रार्थी प्रकाश नाहटा की पहचान उनके अधिवक्ता श्री मोती सिंह व अप्रार्थी सं. 01 तिलोकचन्द की पहचान उनके अधिवक्ता श्री सुरेश जोशी ने की। प्रार्थी व अप्रार्थी सं 01 दोनो पक्ष इस बात से सहमत है कि निगरानीधीन पट्टा में वर्णित जायदाद प्रार्थी/निगरानीकार	

अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal
Date: 2023.01.16 16:19:36 IST
Reason: SelfAttested

FORM NO. III

AAP-A
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत अपर जिला कलक्टर, प्रथम मुकाम जोधपुर

प्रकाश नाहटा बनाम तिलोकचन्द वगैरा

मुकदमा पन्चायत निगरानी नं. 11 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की पैतृक जायदाद है जिसका पट्टा ग्राम पन्चायत बेलवा द्वारा प्रार्थी / निगरानीकार के पिता स्व. जसराज नाहटा के पक्ष में दिनांक 20-10-1961 को जारीशुदा है जिसे दोनो पक्ष सही व सनद मानते है। अप्रार्थी संख्या 01 आवेदन में जेर निगरानी पट्टा के आधार पर कोई क्लेम नही करेगा एवं उक्त पट्टे में वर्णित जायदाद के सम्बन्ध में निगरानीकार के अधिकारो में कोई हस्तक्षेप नही करेगा। अप्रार्थी स. 01 इस बात के लिए भी सहमत है कि पट्टा स. 16 के सम्बन्ध में निरस्तीकरण का नोट ग्राम पन्चायत बेलवा रजिस्टर व उप पंजीयक कार्यालय में दर्ज करवायेगा एवं भविष्य में जेर निगरानी पट्टा स. 16 की भूमि एवं पट्टे के दस्तावेज के आधार पर निगरानीकार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही करेगा व निगरानीकार के उपयोग उपभोग में हस्तक्षेप नही करेगा। अतः उपरोक्त माफिक राजीनामा निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर निगरानीधीन पट्टे विलेख को निरस्त किया जावे एवं निगरानीकार के पिता के नाम से जारी पट्टा दिनांक 20-10-1961 को सम्पुष्ट किया जावे। हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो	

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Ne
Date: 2023.01.16 16:19:36 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
व राजीनामा का अवलोकन किया राजीनामा के अनुसार यह तथ्य निर्विवादित है कि निगरानीधीन पट्टे की भूमि का पूर्व में एक अन्य पट्टा किलेश प्रार्थी / निगरानीकार प्रकाश नाहटा के पिता स्व० जसराज नाहटा के पक्ष में दिनांक 20-10-1961 को जारी किया हुआ है प्रार्थी व अप्रार्थी स. 01 के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है तथा दोनों निगरानीधीन पट्टे को निरस्त करवाने के लिए सहमत है अतः उपरोक्त विवेचनानुसार व मालिक राजीनामा पंचायत निगरानी स्वीकार की जाकर पंचायत निर्णय दिनांक 20-01-2018 अंतर्गत मिसल स. 16 एवं उसके अनुसरण में अप्रार्थी स. 01 तिलोकचन्द को जारी पट्टा संख्या 16 दिनांक 20-01-2018 जो ग्राम पंचायत बेलवा खात्रिया द्वारा जारी किया गया को निरस्त किया जाता है आदेश की एक प्रति ग्राम पंचायत को भिजवाई जावे पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो	

[signature]

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Neh
Date: 2023.01.16 16:19:36 IST
Reason: SelfAttested